

## नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा की भूमिका

प्रतिभा यादव

शिक्षाशास्त्र विभाग, जुहारी देवी गर्ल्स पी जी कॉलेज, कानपुर (उ.प्र.)-208001

Email: drpyadav.edu@gmail.com

Paper Received On: 25 SEPT 2021

Peer Reviewed On: 30 SEPT 2021

Published On: 1 OCT 2021

### Abstract

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० भारत के आगामी भविष्य को नए परिवर्तनों एवं चुनौतियों से सशक्त एवं प्रभावी रूप से सामना करने तथा एक श्रेष्ठ भारत निर्माण को संकल्पित करने के उद्देश्य से मानव समाज के उन्नयन हेतु लागू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० उच्च शिक्षा में नए उत्परिवर्तनों हेतु प्रतिबद्ध है जो समाज में गुणवत्ता, नवाचार, प्रौद्योगिकी तथा भारत केंद्रित शिक्षा के समन्वयन से नवीन कीर्तिमान स्थापित करेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० मुख्य रूप से बहुविषयक संस्थानों की स्थापना, विषय चयन की स्वतंत्रता, ड्राप आउट छात्रों को पुनः अध्ययन, उच्च नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना जिसमें नियमन, मानक, वित्त पोषण तथा मान्यता शामिल है, हेतु संकल्पित है। अनुसंधान सहित शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० का महत्वपूर्ण घटक है जिसमें राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के गठन तथा अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि को प्रेरित करना, समान, समावेशी तथा जीवंत व्यावसायिक एवं मूलभूत शोध आधारित शिक्षा से मानव जीवन के सामाजिक आर्थिक एवं नैतिक विकास हेतु प्रतिबद्धता मुख्य है।

**प्रमुख बिंदु:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०, भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन



Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at [www.srjis.com](http://www.srjis.com)

### 1. प्रस्तावना

वर्तमान समय में भारत को वैश्विक स्तर पर हो रहे परिवर्तनों हेतु सशक्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० को मंजूरी दी। जैसा की विदित है कि शिक्षा ही एक मात्र ऐसा साधन है जो मानव जाति को समय एवं आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक समय में हो रहे परिवर्तन एवं चुनौतियों का सामना कुशलतापूर्वक करने में सक्षम बनाती है अतः NEP २०२० इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु लागू की गई है [1]। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने द्वारा मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया चलाई गई। 29 जुलाई को एमएचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल ने नई शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट पेश किया है। ड्राफ्टिंग विशेषज्ञों ने पूर्व कैबिनेट सचिव टी एस सुब्रमण्यन की अध्यक्षता वाले पैनल और एचआरडी मंत्रालय द्वारा गठित पैनल की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा, जब इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कर रही थीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) में कई बड़े

बदलाव किए गए हैं, जिनमें शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति देना, छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना और संस्थानों की दिशा में एक बड़ा कदम शामिल है। इस नीति का लक्ष्य "भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति" बनाना है[2]। 2040 तक, सभी उच्च शिक्षा संस्थान (HEI) का उद्देश्य बहु-विषयक संस्थान बनना होगा, जिनमें से प्रत्येक का लक्ष्य 3,000 या अधिक छात्र होंगे। एचआरडी मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशांक ने कहा कि मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत अपने वैभव को पुनः प्राप्त करेगा। NEP2020 को गुणवत्ता, पहुंच, जवाबदेही, सामर्थ्य और समानता के आधार पर एक समूह प्रक्रिया के अंतर्गत बनाया गया है। जहां विद्यार्थियों के कौशल विकास पर ध्यान दिया गया है वहीं पाठ्यक्रम को लचीला बनाया गया है ताकि वे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकें। एचआरडी मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से जहां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं वहीं समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए भी हमने सार्थक कदम उठाए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 को समान, समावेशी और जीवंत बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि मेरा मानना है कि नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से हम भारत को गुणवत्ता परक, नवाचार युक्त, प्रौद्योगिकी युक्त और भारत केंद्रित शिक्षा दे पाने में सफल होंगे। नई शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति की जगह पर लागू की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर तीन साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अंदर रखा गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है।

नई शैक्षणिक और पाठ्यक्रम संरचना स्कूली शिक्षा में मौजूदा 10 + 2 संरचना को 3-18 की आयु वाले 5 + 3 + 3 + 4 को कवर करते हुए एक नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम पुनर्गठन के साथ संशोधित किया जाएगा। वर्तमान में, 3-6 आयु वर्ग के बच्चों को 10 + 2 संरचना में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि कक्षा 1 की उम्र 6 से शुरू होती है। नए 5 + 3 + 3 + 4 संरचना में, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा का एक मजबूत आधार ( 3 वर्ष की आयु से ECCE) भी शामिल है। एनसीईआरटी द्वारा विकसित किए जाने वाले राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने कहा कि 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचा, NCERT द्वारा विकसित किया जाएगा[2,3]।

## 2. उच्च शिक्षा में नवीन संरचनात्मक आयाम

HECI- संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए सामान्य नियामक संस्था भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) की स्थापना मेडिकल और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अतिव्यापी छतरी निकाय के रूप में की जाएगी। HECI के पास चार स्वतंत्र कार्यक्षेत्र हैं - नियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद (NHERC), मानक सेटिंग के लिए सामान्य शिक्षा परिषद (GEC), वित्त पोषण के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (HEGC), और मान्यता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (NAC)। NEP 2020 के अंतर्गत 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य निर्धारित है[4,5]। शिक्षा मंत्री के सचिव अमित खरे ने कहा कि हम 2035 तक 50% सकल

नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखते हैं। बीच में कोर्स छोड़ने के इच्छुक लोगों के लिए कई प्रवेश और निकास विकल्प होंगे। उनके क्रेडिट को अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा।

नीति के घोषित उद्देश्यों में से एक भारतीय होने में "गहरी जड़ें गर्व" पैदा करना है, न केवल विचार में, बल्कि आत्मा, बुद्धि और कर्मों में, साथ ही साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों और प्रस्तावों को विकसित करना है। जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवन यापन और वैश्विक कल्याण के लिए जिम्मेदार प्रतिबद्धता का समर्थन करता है। इस नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा के साथ-साथ समानता और समावेशन के लिए एकल नियामक द्वारा "हल्का लेकिन तंग" विनियमन करना है। NEP का कहना है कि 2040 तक, सभी उच्च शिक्षा संस्थान (HEI) का उद्देश्य बहु-विषयक संस्थान बनना होगा, जिनमें से प्रत्येक का लक्ष्य 3,000 या अधिक छात्र होंगे। 2030 तक, हर जिले में या उसके आसपास कम से कम एक बड़ी बहु-विषयक संस्था होगी। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना होगा, जिसमें 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा को 26.3% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा। एकल-स्ट्रीम उच्च शिक्षा संस्थानों को समय के साथ समाप्त कर दिया जाएगा, और सभी बहु-विषयक बनने की ओर बढ़ेंगे। संबद्ध कॉलेजों की प्रणाली को धीरे-धीरे 15 वर्षों में समाप्त कर दिया जाएगा। देश में HEI के वर्तमान जटिल नामकरण जैसे कि 'विश्वविद्यालय माना जाता है', 'संबद्ध विश्वविद्यालय', 'संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय', 'एकात्मक विश्वविद्यालय' को 'विश्वविद्यालय' द्वारा बदल दिया जाएगा। एक विश्वविद्यालय का मतलब एक बहु-विषयक संस्थान होगा जो उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक सहभागिता के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है। वर्तमान नामकरण जैसे कि 'विश्वविद्यालय के रूप में समझा जाने वाला', 'संबद्ध विश्वविद्यालय', 'संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय', 'एकात्मक विश्वविद्यालय' के साथ किया जाएगा[5]।

IIT जैसे इंजीनियरिंग संस्थान, अधिक कला और मानविकी के साथ समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। कला और मानविकी के छात्र अधिक विज्ञान सीखने का लक्ष्य रखेंगे। भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच, शिक्षा, गणित, सांख्यिकी, शुद्ध और अनुप्रयुक्त विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अनुवाद और व्याख्या आदि विभागों को सभी HEI में स्थापित और मजबूत किया जाएगा। स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की होगी, जिसमें कई विकल्प होंगे। उदाहरण के लिए व्यावसायिक या व्यावसायिक क्षेत्रों, या 2 साल के अध्ययन के बाद डिप्लोमा, या 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री सहित एक अनुशासन या क्षेत्र में 1 साल पूरा करने के बाद एक प्रमाण पत्र। 4-वर्षीय बहु-विषयक बैचलर प्रोग्राम, हालांकि, पसंदीदा विकल्प होगा। एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) स्थापित किया जाएगा जो अर्जित किए गए अकादमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करेगा। यदि छात्र एक कठोर अनुसंधान परियोजना को पूरा करता है, तो 4-वर्षीय कार्यक्रम भी 'अनुसंधान के साथ' हो सकता है। IIT, IIM, आदि के साथ समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के लिए मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालय, जिन्हें MERUs (बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय) कहा जाता है, स्थापित किए जाएंगे।

उच्च शिक्षा संस्थान निरंतर और व्यापक मूल्यांकन की दिशा में उच्च स्तर की परीक्षाओं से दूर हो जाएंगे। भारत को सस्ती लागत पर प्रीमियम शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। विदेशी

छात्रों की मेजबानी करने वाले प्रत्येक संस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय स्थापित किया जाएगा। उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से चयनित विश्वविद्यालयों को भारत में काम करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। ऐसी प्रविष्टि की सुविधा देने वाला एक विधायी ढांचा रखा जाएगा, और ऐसे विश्वविद्यालयों को भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों के साथ विनियामक, शासन, और सामग्री मानदंडों के बारे में विशेष जानकारी दी जाएगी। प्रत्येक शिक्षा संस्थान में, तनाव और भावनात्मक समायोजन से निपटने के लिए परामर्श प्रणाली होगी। एससी, एसटी, ओबीसी, और अन्य एसईडीजी से संबंधित छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा [5,6]। व्यावसायिक शिक्षा को अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में एकीकृत किया जाएगा। 2025 तक, स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए जोखिम होगा। B.Voc। 2013 में शुरू की गई डिग्री मौजूद रहेगी, लेकिन अन्य सभी स्नातक कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी उपलब्ध होंगे, जिनमें 4-वर्षीय बहु-विषयक स्नातक कार्यक्रम शामिल हैं। लोक विद्या', अर्थात्, भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान, छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया जा सकता है, व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन करेगा।

NEP 2020 एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) बनाने के लिए भी बोलती है। इस नीति में भारत के एक उच्च शिक्षा आयोग (HECI) के निर्माण का भी उल्लेख है। नई शिक्षा नीति (NEP), बुधवार को केंद्र द्वारा अनुमोदित, देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक - HECI- की परिकल्पना करती है। भारतीय उच्चतर शिक्षा परिषद (HECI) में विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने के लिए कई कार्यक्षेत्र होंगे। HECI की पहली ऊर्ध्वाधर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद (NHERC) होगी। यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए सामान्य, एकल बिंदु नियामक के रूप में कार्य करेगा। हालांकि, यह चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को बाहर करेगा। HECI की दूसरी ऊर्ध्वाधर, एक 'मेटा-मान्यता प्राप्त निकाय' होगी, जिसे राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (NAC) कहा जाता है। संस्थानों का प्रत्यायन मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण, सुशासन, और परिणामों पर आधारित होगा, और इसे नैक द्वारा निगरानी और देखरेख करने वाले मान्यता प्राप्त संस्थानों के एक स्वतंत्र पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा किया जाएगा। HECI का तीसरा वर्टिकल हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल (HEGC) होगा, जो कॉलेजों और वर्सिटीज की फंडिंग और फाइनेंसिंग करेगा। HECI का चौथा वर्टिकल जनरल एजुकेशन काउंसिल (GEC) होगा, जो उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों को फ्रेम करेगा, जिसे attributes स्नातक गुण 'भी कहा जाता है। GEC द्वारा एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (NHEQF) तैयार किया जाएगा। वर्तमान में, उच्च शिक्षा निकायों का विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) जैसे निकायों के माध्यम से किया जाता है। • विनियमन (NHERC), प्रत्यायन (NAC), निधिकरण (HEGC), और शैक्षणिक मानक सेटिंग (GEC) और ओवररचिंग ऑटोनॉमस छात्रा बॉडी (HECI) के लिए सभी स्वतंत्र वर्टिकल का कामकाज स्वयं

Copyright © 2021, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

पारदर्शी सार्वजनिक प्रकटीकरण पर आधारित होगा, और अपने काम में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मानव इंटरफ़ेस को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर उपयोग करें। • व्यावसायिक परिषद, जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), पशु चिकित्सा परिषद (VCI), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE), वास्तुकला परिषद (CoA), राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET) आदि, पेशेवर मानक सेटिंग निकायों (PSSBs) के रूप में कार्य करेगा। इनके कार्यों के पृथक्करण का मतलब होगा कि एचईसीआई के भीतर प्रत्येक ऊर्ध्वाधर एक नई, एकल भूमिका पर ले जाएगा जो नई नियामक योजना में प्रासंगिक, सार्थक और महत्वपूर्ण है[3-7]।

### 3. निष्कर्ष

वैश्विक स्तर पर शिक्षा जगत में हो रहे अभूतपूर्व परिवर्तनों को सफल एवं सशक्त रूप में स्वीकार करने हेतु नवाचार युक्त, तकनीति रूप से संपन्न तथा भारत केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० लागू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नवीन संरचनात्मक ढांचा 5+3+3+4 के साथ शिक्षा एवं पाठ्यक्रम को नवीन स्वरूप प्रदान किया गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुविषयक संस्थानों की स्थापना हेतु केंद्रित है, जिसमें कला, विज्ञान, तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा तथा शोध को एक साथ एकल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जायेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, विषय चयन की स्वंत्रता, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, व्यावसायिक शिक्षा एवं एकल विश्वविद्यालय जैसे महत्वपूर्ण आयामों को उच्च शिक्षा में समायोजित करेगी। सम्पूर्ण भारत के लिए केवल एक उच्च शिक्षा आयोग का गठन, राष्ट्रीय शोध संस्थान की स्थापना, सम्पूर्ण भारत हेतु एकल पाठ्यक्रम हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिबद्ध है जिससे उच्च शिक्षा में व्यापक सकारात्मक प्रभाव परिलब्धित होंगे।

### संदर्भ-

*Draft National Education Policy 2019,*

<https://innovate.mygov.in/wpcontent/uploads/2019/06/mygov15596510111.pdf>

*National Education Policy 2020.*

[https://www.mhrd.gov.in/sites/upload\\_files/mhrd/files/nep/NEP\\_Final\\_English.pdf](https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/NEP_Final_English.pdf) referred on 10/08/2020

*S. Aithal and S. Aithal, Analysis of the Indian National Education Policy 2020 towards Achieving its Objectives, Munich Personal RePEc Archive, 1-22 (2020).*

*N. Ulker, and A. Bakioglu, An international research on the influence of accreditation on academic quality, Studies in Higher Education, 44, 1507-1518 (2019).*

*P. Yadav, Revolutionary Phase in Higher Education via National Education Policy 2020, International Journal of Innovative Research in Technology, 8(3), 934-937 (2021).*

*K. Kumar, Quality of Education at the Beginning of the 21st Century: Lessons from India, Indian Educational Review, 40, 3-28, (2005).*

*P. S. Aithal, and S. Aithal, Impact of On-line Education on Higher Education System, International Journal of Engineering Research and Modern Education (IJERME), 1(1), 225-235 (2016).*